

प्रपत्र-३०

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand,

Office of the District Collector, Rudraprayag.

No.....

Dated.....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain

relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.340 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction Division, PWD, Ukhimath** (name of user agency) for Construction of Kyark-Barsudi-Bhairon band to Jamethi motor road (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of Kyark-Barsudi(Jamethi) villages in **Ukhimath** tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.340 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30.2, 30.3 and annexure 30.4
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

**District Magistrate
Rudraprayag, Uttarakhand.**

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-30.1

Annexure -

**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR,
RUDRAPRAYAG, UTTARAKHAND.**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Rudraprayag district, constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Mr...Mangesh Ghiildiyal..... District Magistrate, Rudraprayag District, on the date 17.06.19. at time 1. P.M. in Rudraprayag in which application claiming rights in Forest area measuring 1.340 hectare for the construction of Construction of Kyark-Barsudi-Bhairon band to Jamethi motor road in forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Ukhimath Tehsil sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the saided purpose.

[Signature]
**District Magistrate Cum-Chairman
District Level Committee
Rudraprayag, Uttarakhand.**

परियोजना का नाम:- मांमुंघो० संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत व्यार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०निर्विरो को हस्तान्तरण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद रुद्रप्रयाग मांमुंघो० संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत व्यार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.340 हैं। पंचायती वनभूमि लोक निर्माण विभाग, ऊखीमठ को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र सं. 11-9/98-एफ.सी., दिनांक 05-02-2013 के द्वारा सङ्क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, रोपवे, ओ.एफ.सी., केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

[Signature]
जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-30.3**परियोजना का नाम:-**

मांमुंघों संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०निर्विं को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - ज्ञान बरसूड़ी

तहसील - ऊखीमठ, जिला - रुद्रप्रयाग,

अनापति का प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में मांमुंघों संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु आरक्षित वनभूमि 0.840 है व पॉचायती वनभूमि 0.500 है। अर्थात् कुल 1.340 है। आरक्षित व पॉचायती वनभूमि का लो०निर्विं के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक १७ / ०१ / 2019 को सम्पन्न ग्राम पंचायत की बैठक में लो०निर्विं द्वारा आवेदित पॉचायती वनभूमि के सम्बन्ध में अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी रह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित पॉचायती वनभूमि में आधिवासी अथवा किसी और आधिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पॉचायती वनभूमि में किसी भी आधिवासी अथवा और आधिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित पॉचायती वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का छनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसमति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ज्ञान - बरसूड़ी के ग्रामवासियों को उक्त पॉचायती वनभूमि उक्त परियोजना हेतु लो०निर्विं को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

Shankar
सरपंच
(प्रमाणालंकाराता)



प्रपत्र-30.4


परियोजना का नाम:- मांगुधो संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत वयार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लोनिवि को हस्तान्तरण।

दिनांक 17/01/2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम - कपाळ - बरसूड़ी

क्र.सं.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	राजेशलाल 2	lchowdhury
2	हरभाल सिंह ०	Harbhau
3	विजय १८८ पाठ्य	188
4	किलन १८८ रावत	Kilan
5	दशरथ १८८ रावत	Dasharath
6	पाल १८८ विहर	Pal
7	जगदीश १८८ याहुल	Jagadeesh
8	विद्व-दर १८८ विहर	Vidv-dar
9	चौरसिंह १८८ चौहान	Chaurasiyan
10	नारायणसिंह १८८	Narayan

↑
Bhawna
सरपंत
(प्रभाल यादव)



परियोजना का नाम:- मा०मु०घो० संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत व्याकू-बरसूडी-भेयों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि�०ति० को हस्तान्तरण।

कार्यालय उपजिलाधिकारी बसुकेदार
अनुसुचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण - पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, बसुकेदार

उपखण्ड ऊर्खीमठ परिक्षेत्र के अन्तर्गत मा०मु०घो० संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत व्याकू-बरसूडी-भेयों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु आरक्षित वनभूमि 0.840 है० व पौचायती वनभूमि 0.500 है० अर्थात् कुल 1.340 है० आरक्षित व. पौचायती वनभूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसुचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील- बसुकेदार) की ठिन्हाँक 30-01-2019 को सम्पन बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसुचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री देवमुर्ति यादव उप जिलाधिकारी एंव अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1-	श्री <u>देवमुर्ति यादव</u> जिलाधिकारी	<u>१५३६१</u>	अध्यक्ष
2-	श्री <u>प्रभागीय वनाधिकारी</u> उपप्रभागीय वनाधिकारी	<u>जनकोवत</u>	सदस्य
3-	श्री <u>इस्तकर्मी श्री</u> सहायक समाज कल्याण अधिकारी	<u>समाजकल्याणी</u>	सदस्य/सचिव
4-	श्री <u>श्री चिंट गांगड़ी</u> वी०डी०सी० क्षेत्र उपर्युक्त वनभूमि क्षेत्र का निर्माण विभाग की अनुमति देवमुर्ति यादव	<u>क्षेत्र का नि�र्माण विभाग</u>	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में खागत करते हुये उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मा०मु०घो० संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत व्याकू-बरसूडी-भेयों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.340 है० वनभूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीयों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

संम्बन्धित उपप्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग द्वारा अनुसुचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापति जारी की जा सकती है।

बैठक सर्वसम्मति से उपखण्ड ऊर्खीमठ परिक्षेत्र के मा०मु०घो० संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत व्याकू-बरसूडी-भेयों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.340 है० वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को जनहित में शक्ति प्रधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

द्वारा अनुमति
वी०डी०सी० वन अधिकारी सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास राज्यकालीन उन्नयन, राज्यविकास खाली अगस्त्यमुनि
रुद्रप्रयाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उपप्रभागीय वनाधिकारी
उद्धवप्रयाग
उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - बसुकेदार, जनपद - रुद्रप्रयाग

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - बसुकेदार, जनपद - रुद्रप्रयाग